कार्यालय–नगर निगम, मथुरा वृन्दावन मथुरा।

दिनांक– 21/07/2021

पत्रांक– 13 /अ०न०आ०का०/न०नि०म०वृ०/2021–22

:–सार्वजनिक–सूचना–:

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–1080/नौ–9–21–121ज/20 नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक–08.06.2021 के अनुपालन में नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा (COTPA) के अन्तर्गत तम्बाकू विक्रेताओं के उत्पाद लाईसेंस शुल्क का निर्धारण विनियमन और नियन्त्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु उपविधि 2021 बनाई गयी है नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2–सन 1950) की धारा 437,438 की उप धारा (1) के खण्ड (घ), धारा 452 और धारा 541 के खण्ड (20), (41) और (49) एवं 543 के खण्ड (क) की अपेक्षानुसार नगर निगम मथुरा वृन्दावन सीमान्तर्गत में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाईसेन्स शुल्क व निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु नगर निगम मथुरा वृन्दावन अधिनियम की धारा 541 (20) के अन्तर्गत उपविधि 2021 तैयार की गयी है। जो मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक–25.06.2021 प्रस्ताव संख्या–12 एवं मा0 सदन अधिवेशन दिनांक–14.07.2021 के विशेष प्रस्ताव संख्या–06 के द्वारा स्वीकृत की गयी है। उक्त उपविधि के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/विशेष को आपत्ति/सुझाव देने हों तो वह समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिवस के अन्दर जोनल स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग नगर निगम मथुरा वृन्दावन मथुरा कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में लिखित रुप से दे सकते है एवं उपविधि का कार्यालय में अवलोकन कर सकते है या निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते है तथा नगर निगम मथुरा वृन्दावन मथुरा की वेबसाईट **www.nnmvonline.in** पर भी अवलोकन कर सकते है। निर्धारित समय अवधि समाप्त होने के पश्चात आपत्तियों/सुझावों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा वृन्दावन मथुरा।

तम्बाकू उत्पाद नियंत्रण लाइसेंस उपविधि–2021

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1950) की धारा 437, धारा 438 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) धारा 452 और धारा 541 के खण्ड (20), (41) और (49) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर निगम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 **(COTPA)** के प्राविधानों के दृष्टिगत तम्बाकू विकेताओं के लिए तम्बाकू उत्पाद लाइसेंन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञपति शुल्क हेतु उपविधि 2021 को बनाने का प्रस्ताव करता है, उसका निम्नलिखित प्रारुप उपर्युक्त अधिनियम की धारा 543 के खण्ड (क) की अपेक्षानुसार समस्त संम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में आपत्तियों और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है,

आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा वृन्दावन को सम्बोधित करके लिखित रुप में प्रेषित किये जायेंगे। केवल उन्ही आपत्तियों और सुझावों पर, जो इस नोटिस के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर प्राप्त होंगे, विचार किया जायेगा।

नगर निगम मथुरा वृन्दावन तम्बाकू उत्पादों लइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु उपविधि–2021

1 . संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :–

(1) यह उपविधि नगर निगम मथुरा वृन्दावन (तम्बाकू उत्पादों की बिकी हेतु लाइसेन्स शुल्क का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) उपविधि–2021 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार नगर निगम मथुरा वृन्दावन के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

2 . तम्बाकू वेंडर लाइसेंसिंग के लिए योग्यता :–

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) आवेदन कर्ता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।

(3) दुकानदार के नाम का आधार कार्ड अनिवार्य है नगर निगम मथुरा वृन्दावन से बाहर का आधार कार्ड होने की स्थिति में स्थानीय पार्षद से सत्यापन आवश्यक होगा।

(4) आवेदनकर्ता की तम्बाकू की दुकान किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि में नहीं होनी चाहिये।

(5) आवेदनकर्ता की दुकान स्थाई हो।

(6) उक्त के अतिरिक्त नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थाई दुकान हो सकती है।

3 . वार्षिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क :–

(1) तम्बाकू विकेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा, तत्पश्चात लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थाई दुकानों हेतु वार्षिक पंजीकरण शुल्क रु0–500.00, स्थाई दुकानों हेतु रु0–1000.00 एवं थोक स्थाई दुकानदारों के लिए रु0–5000.00 होगा।

(2) एक वर्ष के उपरांन्त नवीनीकरण शुल्क थोक विकेता के लिए रु0–5000.00, फुटकर स्थाई विकेताओं के लिए रु0–200.00 एवं फुटपाथ पर गुमटी और अस्थाई दुकानों हेतु रु0–100.00 होगा।

(3) उक्त धनराशि आवेदनकर्ता द्वारा पंजीकरण के समय ही देय होगी।

4 . तम्बाकू नियंत्रण कानून एवं अधिनियम का अनुपालन :– पंजीकृत तम्बाकू विकेताओं को निम्नलिखित का अनुपालन अनिवार्य होगा :–

(1) शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में कोई भी तम्बाकू उत्पाद की दुकान संचालित नही की जाएगी।

(2) तम्बाकू विकेता द्वारा कोटपा की धारा 5 के अन्तर्गत साइनेज लगाना अनिर्वाय होगा।

(3) तम्बाकू विकेता को कोटपा की धारा 6 अ के अनुसार नाबालिग तम्बाकू उत्पाद न तो बिकी करेगा और न ही नाबालिग द्वारा बिकी की जाएगी।

(4) दुकान पर खुली सिगरेट की बिकी प्रतिबंधित होगी।

5 . नियम एवं शर्तें :–

(1) तम्बाकू विकेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा। तत्पश्चात लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस क तम्बाकू उत्पाद नही बेचे जायेंगे।

(2) पंजीकरण दुकानदार सिर्फ और सिर्फ तम्बाकू उत्पादों की ही बिकी करेगा।

(3) एक व्यक्ति एक लाइसेंस की प्रकिया अपनाई जएगी। दिया गया लाइसेंस अहस्तान्तरणीय होगा।

(4) एक लाइसेंस एक दुकान के लिए ही मान्य होगा।

(5) किन्ही परिस्थितियों में कॅन्द्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय न्यायालय, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम अथवा अन्य विभागों के

द्वारा जारी नियम और कानून में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन अथवा उसके दिशा–निर्देश का अनुपालन पंजीकृत दुकानदारों द्वारा अनिवार्य होगा।

(6) तम्बाकू उत्पादक की बिकी हेतु देय लाइसेंस के नियमों के उल्लंघन होने की स्थिति में लाइसेंस धारक को पहले संबंधित अधिकारी द्वारा चेतावनी दी जाएगी। लाइसेंस धारक द्वारा उल्लंघन जारी रखने पर नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा निलंम्बन कार्यवाही की जाएगी। फिर भी उल्लंघन जारी रखने की दिशा में लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। एक बार लाइसेंस रद्द होने पर दोबारा लाइसेंस होने की प्रकिया पर विचार नही किया जाएगा।

(7) तम्बाकू बिकी लाइसेंस धारक के अतिरिक्त कोई अन्य कामर्शियल मॉल, थोक बाजार, बिग बजार, स्पेन्सर्स, जनरल मर्चेन्ट, किराना दुकान आदि तम्बाकू उत्पादों की बिकी नही कर पायेगा। इसमें वे दुकानें भी सम्मिलित होंगी, जो गुमटी लगाते है। उक्त के उल्लंघन होने पर प्रथम बार रु0–2000.00 जुर्माना व सामग्री जब्त, दूसरी बार रु0–5000.00 व सामग्री जब्त तीसरी बार रु0–5000.00 सामग्री जब्त व प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।

(8) लाइसेंस धारक विकेता केवल भारतीय तम्बाकू उत्पादों जिस पर सचित्र चेतावनी अंकित होगी एवं भारत सरकार के आयात नियमों के अन्तर्गत आयातित तम्बाकू उत्पादों, की ही बिकी करेगा।

6 . पंजीकरण प्रकिया :–

(1) नगर निगम मथुरा वृन्दावन में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मनवीय इस्तेमाल पर निर्बधन और शर्तों के अनुरुप अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करने के संम्बन्ध में जोनल अधिकारी नामित अधिकारी के रुप में कार्य करेंगे, जो मुख्य कर निर्धारण अधिकारी/अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

(2) तम्बाकू विकेताओं को नगर निग मथुरा वृन्दावन के द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म संख्या 22 पर जोनवार आवेदन करना होगा।

(3) प्राप्त आवेदनों को जॉचोपरांन्त सही पाये जाने पर पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

(4) अपूर्ण आवेदन स्वतः निरस्त माने जाएगे।

(5) प्रमाण पत्र नामित अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ बार कोड अथवा मोहर या होलोग्राम होगा।

(6) जारी प्रमाण पत्र को दुकान पर चस्पा करना अनिवार्य होगा।

(7) पंजीकरण के संन्दर्भ में नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

8 . **नामित अधिकारी** :– नगर निगम मथुरा वृन्दावन में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बन्धन और शर्तों के अनुरुप अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करने हेतु पर्यावरण अभियंन्ता प्रभारी अधिकारी होंगे। साथ ही जोनल अधिकारी नोडल अधिकारी के रुप में जोन स्तर पर उपरोक्त निर्बधन एवं शर्तों के अधीन आवेदन प्राप्त होने के 7 कार्य दिवस में अनज्ञप्ति लाइसेंस जारी करेंगे जो मुख्य कर निर्धारण अधिकारी/अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

9 . **वेंडर लाइसेंस लागू करने की समयावधि** :– पंजीकरण प्रणाली नगर निगम मथुरा के माननीय सदन में अनुमोदित होने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी।

मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक–25.06.2021 प्रस्ताव संख्या–12 एवं मा0 सदन अधिवेशन दिनांक–14.07.2021 के विशेष प्रस्ताव संख्या–06 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

नगर आयुक्त

नगर निगम मथुरा वृन्दावन मथुरा।